न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक :– 24.5.2022

क्रमांक –रीडर/ 2022/345

मुकदमा नंबर 46/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कुम्भाराम पुत्र श्री उकाराम 2. वगताराम पुत्र उकाराम 3. नारायणराम पुत्र उकाराम जाति कलबी निवासी टापरा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।		1. तुलछाराम पुत्र जवाराराम 2. खंगाराराम पुत्र जवाराराम जाति कलबी निवसी टापरा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 3. ढेलकंवर पत्नी दलपतसिंह नि0 राजपूत नि0 टापरा, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर 4. मगाराम गोदपुत्र अनाराम जात कलबी नि0 टापरा, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर 5. मीखाराम पुत्र मूलाराम जाति कलबी निवासी टापरा तह0 पचपदरा 6. जोईताराम पुत्र मूलाराम जाति कलबी नि0 टापरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर 7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

आदेश

दिनाक :– 24.5.2022

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा टापरा पटवारी क्षेत्र टापरा भू–निरीक्षक जसोल तहसील पचपदरा में खेत खसरा न0 1109/824 रकबा 5 बीघा 15 विस्वा व खसरा संख्या 1110/824 रकबा 5 बीघा 12 विस्वा किस्म बा. अव्वल जुमल्ले खसरा 2 कुल रकबा 11 बीघा 7 विस्वा प्रार्थीगण की संयुक्त सामलाती खातेदारी की स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा कास्त है ।

विद्ववान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विप्रार्थी संख्या 1 ,4 5 व 6 के वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 1 ,4 5 व 6 ने जबाब पेश कर जाहिर किया की विप्रार्थीगण के खेतो बीच पूराने सेढा माठ में किसी तरह से छोड छाड किये वगैरा सेढे के पूराने सेढा माठ नष्ट किये वगैर पत्थरगड्डी किया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है । प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावें कमीश्नर शुल्क रूपर्य 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की य[illegible] हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:35:17 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
(SDO) बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2022/345

दिनांक :– 24/5/22

1. तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे,साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा